दिनांक 08.06.2024	
प्रेस विज्ञप्ति 09/2024	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रोन्नत पाये पुलिस अधिकारियों की पिपिंग सेरेमनी का आयोजन</u>

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 08.06.2024 को पुलिस मुख्यालय में प्रोन्नत पाये अपर पुलिस अधीक्षकों की पिपिंग सेरेमनी में श्री पूर्णेन्दु सिंह अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के स्टाफ आफीसर, श्रीमती शुभ्रा भाष्कर, अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को रैंक लगाया गया। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रोन्नत पाये समस्त 53 अपर पुलिस अधीक्षकों को शुभकामनाएं देते हुये उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

इस अवसर पर पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थिरत रहे।

जनपद अमरोहा/थाना सैदनगली

•25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

•01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनॉकः 08.06.2024 थाना सैदनगली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गलवासुवा ढक्का चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शानू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैदनगली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अमरोहा, मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सैदनगली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शानू निवासी मोहल्ला सादक सराय कस्बा सिरसी थाना हजरतगंज गढ़ी जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—63

•02 अभियुक्त गिरफ्तार

•लूट की घटना का अनावरण

•लूट के 25 हजार रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन

•चोरी की 01 मोटर साइकिल

•02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 08.06.2024 को थाना सेक्टर—63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जे0 ब्लॉक बिजली घर के पास से 02 अभियुक्तों 1—कुलदीप उर्फ बत्तड 2—लोकेश उर्फ

लोकी को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 25 हजार रूपये नगद, लूटे गये 04 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सेक्टर–63 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, मोबाइल फोन व मोटर साइकिल लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त लोकेश उर्फ लोकी के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त कुलदीप उर्फ बत्तड के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुलदीप उर्फ बत्तड निवासी शाहपुर बम्हेटा थाना वेव सिटी, गाजियाबाद।

2–लोकेश उर्फ लोकी निवासी शाहपुर बम्हेटा थाना वेव सिटी, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लूट के 25 हजार रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–113/थाना सेक्टर–39

•04 अभियुक्त गिरफ्तार

•चोरी की 33 दो पहिया वाहन, 01 ई–रिक्शा

•01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 07.06.2024 को थाना सेक्टर–113 व थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न–भिन्न स्थानों से 04 अभियुक्तों 1–अनूप 2–देव कुमार उर्फ

देवा 3–अनिमेश उर्फ अन्नी 4–शिवम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 33 दो पहिया वाहन, 01 ई–रिक्शा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अनूप के विरूद्व कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 42 अभियोग, अभियुक्त देव कुमार उर्फ देवा के विरूद्व कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–113 व थाना सेक्टर–39 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनूप निवासी अफजलपुर थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।

2–देव कुमार उर्फ देवा निवासी गली नं0–03 जौहरीपुर, दिल्ली।

3–अनिमेश उर्फ अन्नी निवासी त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार फेस–1 दिल्ली।

4–शिवम निवासी गली नं0–02 सदर कालोनी सेक्टर–45 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 33 दो पहिया वाहन, 01 ई–रिक्शा।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना जमुनापार

• 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 22 दो पहिया वाहन बरामद

दिनॉकः 07.06.2024 की रात्रि थाना जमुनापार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सौर गुद्दर मोड़ से अभियुक्त बोबी उर्फ रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 22 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जमुनापार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बोबी उर्फ रोहित निवासी नगला हंसी थाना राया जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—चोरी की 22 दो पहिया वाहन।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना बण्डा

•02 अभियुक्त गिरफ्तार

•700 ग्राम अवैध अफीम बरामद

दिनॉकः 08.06.2024 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टेढा पुल दलेलापुर पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1—मुराद 2—युनुस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 700 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुराद निवासी करनैयापुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहॉपुर।

2—युनुस निवासी खखरा बुजुर्ग थाना बण्डा जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1—700 ग्राम अवैध अफीम।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज

•02 अभियुक्त गिरफ्तार

•लगभग 65 लाख रूपये कीमत के 05 कुन्तल 04 किलोग्राम अवैध गांजा

•घटना में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक बरामद

दिनॉकः 07.06.2024 की रात्रि थाना रॉबर्ट्सगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सब्जी मण्डी से 02 अभियुक्तों 1—सुनील कुमार 2—छोटू

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 65 लाख रूपये कीमत के 05 कुन्तल 04 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुनील कुमार निवासी ग्राम मवैया थाना कौंधियारा, प्रयागराज।

2—छोटू निवासी अतरसुया थाना बारा, प्रयागराज।

बरामदगी

1—लगभग 65 लाख रूपये कीमत के 05 कुन्तल 04 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक।

एसटीएफः जनपद अयोध्या के थाना तारून में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2024 धारा में वाँछित 25 हजार रूपये के इनामिया अभियुक्त को जनपद अयोध्या से एसटीएफ द्वारा किया गिरफ्तार।

दिनांकः 08—06—2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद अयोध्या के थाना तारून में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में वाँछित 25 हजार रूपये के इनामिया अभियुक्त को जनपद अयोध्या से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— आदित्य प्रताप सिंह उर्फ विक्की पुत्र विनय सिंह नि0 ग्राम रौधरी थाना हैदरगंज, जनपद अयोध्या।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः—

दिनांक 08—06—2024 को समय लगभग 16.15 बजे। थाना तारून बाजार क्षेत्र, पिपरी तिराहा, जनपद अयोध्या।

आपराधिक इतिहासः—

- मु0अ0सं0 54/2017 धारा 323/504/506 भादवि थाना हैदरगंज, अयोध्या उ0प्र0।
- मु0अ0सं0 208/2021 धारा 504/506 भादवि थाना हैदरगंज, अयोध्या उ0प्र0।
- मु0अ0सं0 158/2017 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना हैदरगंज, अयोध्या उ0प्र0।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 30–05–2024 को खैनीपुर निदयावा, एम0ए0 घाटपुल पर शुभम यादव पुत्र जय प्रकाश यादव नि0 भटपुरा, थाना गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर की रणवीर सिंह उर्फ बन्टी सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ रिशभ उर्फ रिशू, आदित्य सिंह, नितिन राणा व संदीप कुमार गोस्वामी से आपसी विवाद में हत्या कर दी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में नामजद पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत होने के बाद 25 हजार का इनामिया अभियुक्त आदित्य प्रताप सिंह उर्फ विक्की फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध एस0टी0एफ0 से सहयोग मांगा गया, जिसके क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन क्रम में ज्ञात हुआ कि थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में वाँछित इनामी अभियुक्त आदित्य प्रताप सिंह उर्फ विक्की थानाक्षेत्र तारून में आया हुआ हैं। इस सम्बन्ध में उप निरीक्षक श्री अतुल चतुर्वेदी, उपनिरीक्षक श्री प्रदीप सिंह, मुख्य आरक्षी नीरज पाण्डेय, मुख्य आरक्षी सुशील सिंह, मुख्य आरक्षी रामनिवास शुक्ला, मुख्य आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी बृजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव की एक टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु जनपद अयोध्या में भ्रमणशील थी, के द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर के बताये गये उपरोक्त स्थान से उपरोक्त अभियुक्तों को आवष्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त इनामी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आदित्य प्रताप सिंह उर्फ विक्की ने बताया कि 06 माह पूर्व शुभम यादव से उसके मित्रों का विवाद हो गया था, जिसमें शुभम यादव ने रणवीर सिंह के पैर में गोली मार दी थी और भाग गया था। तभी से हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे। दिनांक 30–05–2024 को रणवीर सिंह के मित्र नवनीत यादव ने फोन करके बताया कि शुभम एक बथडे पार्टी में आया हुआ है। नवनीत यादव की इस सूचना पर हम लोगों ने

अभिषेक सिंह को शुभम यादव को लेकर आने को कहा, जिसपर अभिषेक सिंह अपनी अपाचे मोटर साइकिल से रोहित तिवारी उर्फ अंकित के साथ जहाँ पार्टी हो रही थी,

वहाँ पहुँचे और शुभम को बहाने से बुलाकर अभिषेक व रोहित विशुन बाबा के स्थान पर ले आये जहाँ पर पहले से मौजूद मै आदित्य सिंह, रणवीर सिंह, संदीप कुमार गोस्वामी, और नितिन राणा स्विफ्ट डिजायर कार मे बैठे थे। वहाँ अभिषेक ने शुभम यादव की गोली मार कर हत्या कर दी। हम लोगों ने मिलकर लाश को खेमीपुल निधयांवा एमीघाट पुल के नीचे फेंक दिया। इस हत्या के सम्बन्ध में थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि का पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत होने के बाद हम लोग अलग–अलग भाग गये और लुक–छिप कर रहने लगे।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः फेडरल बैंक, थाना ठाणे, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ का गोल्ड लोन फ्राड करने वाला व थाना कशमीरा, जनपद ठाणे में पंजीकृत मु0अ0स0 195/2024 में वांछित अपराधी गिरजा शंकर तिवारी एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार।

दिनाकः 08–06–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को फेडरल बैंक, थाना ठाणे, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ का गोल्ड लोन फ्राड करने वाला एवं थाना कशमीरा, जनपद ठाणे में पंजीकृत मु0अ0स0 195/2024 धारा–420,406 भादवि में वांछित अभियुक्त गिरजा शंकर तिवारी को कमिश्नरेट लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– गिरजा शंकर तिवारी पुत्र सतीश तिवारी निवासी कुवंरपुर, थाना मछली शहर जनपद जौनपुर। हाल पता म0नं0–एल/206 यदुवंशी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

बरामदगी–

1– 01 अदद मोबाइल फोन

2– 03 अदद एटीएम कार्ड

3– 01 अदद आधार कार्ड

4— 01 अदद पेन कार्ड

5— 01 अदद डी0एल0

6— रूपये 500/—नगद

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः—

दिनांक 08—06—2024 समयः लगभग 11.50 बजे, खेवली हसनपुर, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ ।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023 में फेडरल बैंक, मीरा रोड, थाना ठाणे, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ का गोल्ड लोन फ्राड करने की घटना हुयी थी जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 195/2024 धारा—420,406 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें फेड बैंक का ब्रांच मैनेजर गिरजा शंकर तिवारी वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद थाणे, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एसटीएफ से सहयोग मांगा गया।

वांछित अभियुक्त गिरजा शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हेतु सेण्टर क्राइम ब्रांच, थाणे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एसटीएफ0 उ0प्र0 लखनऊ से सहयोग मांगा गया, जिसके क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री संतोष कुमार, मु0आ0 मुनेन्द्र सिंह, मु0आ0 वीर प्रताप व मु0आ0 यशवंत की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 08—06—2024 अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि फेडरल बैंक, मीरा रोड, थाना ठाणे, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ का गोल्ड लोन फ्राड करने वाला एवं थाना कशमीरा, जनपद ठाणे में पंजीकृत मु0अ0सं0 195/2024 धारा—420,406 भादवि में वांछित अभियुक्त गिरजा शंकर तिवारी कमिश्नरेट लखनऊ के खेवली हसनपुर, थाना सुशांत गोल्फ सिटी में मौजूद है और कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए क्राईम ब्रान्च, महाराष्ट्र की टीम, जो लखनऊ में पूर्व से ही मौजूद थी, को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच कर मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त गिरजा शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त गिरजा शंकर तिवारी ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष 2009 से विभिन्न बैंक एवं इंश्योरेंस कम्पनियों में पदस्थ रहा तथा दिसम्बर 2021 से फैड बैंक महाराष्ट्र में ब्रान्च मैनेजर के पद पर पदस्थ रहते हुए, ग्राहको से कम ब्याज दर पर गोल्ड लोन देने हेतु गोल्ड जमा करवाता रहा परन्तु उस गोल्ड बैंक में जमा न करके अपने पास ही रखे रहा। गोल्ड लोन की धनराशि भी ग्राहकों स्वंय के स्तर पर ही दी गयी। बाद में गोल्ड सहित गायब हो गया। बताया कि उसने गोल्ड को बेंच कर प्रापर्टी में निवेश किया है। समय ट्रोनिका प्रापर्टी सोल्यूशन प्रा0 लि0 के नाम से लखनऊ में प्रापर्टी का काम करता है। इस प्रकार इसने लगभग 2.5 करोड़ रूपये का गोल्ड लोन फ्राड किया था, जिसके सम्बन्ध में थाना कशमीरा, जनपद ठाणे में पंजीकृत मु0अ0सं0 195/2024 धारा—420,406 भादवि पंजीकृत हो जाने के कारण लूक—छीपकर रहा था।

अभियुक्त गिरजा शंकर तिवारी उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहास हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	26 / 2009	419,420,34, भादवि व 66(सी),66डी आईटी एक्ट	साइबर क्राइम	ठाणे महाराष्ट्र
2	481 / 2021	420 भादवि	मानिकपुर	ठाणे महाराष्ट्र
3	195 / 2024	420,406	कशमीरा	ठाणे महाराष्ट्र

अग्रिम विधिक कार्यवाही क्राइम ब्रान्च, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————